

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 2411/2011/अलवर

मैसर्स रे बेन सन ऑप्टिक्स इण्डिया लि०,
भिवाड़ी, अलवर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,

विशेष वृत प्रथम, भिवाड़ी

.....प्रत्यर्थी

2. अपील संख्या 345/2012/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत प्रथम, भिवाड़ी

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रे बेन सन ऑप्टिक्स इण्डिया लि०,
भिवाड़ी, अलवर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह

उप राजकीय अभिभाषक।

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

....राजस्व की ओर से
.....व्यवहारी की आरे से


दिनांक : 09.02.2018

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी/राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 96/आरवैट/2010-11/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 05.07.201 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के तहत प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत प्रथम, भिवाड़ी (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2010 में सृजित मांग राशियों को आंशिक स्वीकार किये जाने को विवादित किया गया है। चूंकि दोनों ही प्रकरणों के तथ्य समान है अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही हैं।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवहारी की वर्ष 2007-08 की चतुर्थ तिमाही बिक्री प्रपत्र की जांच पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि की चतुर्थ तिमाही में राज्य के भीतर की गई सन ग्लासेज की बिक्री रुपये 3,88,88,692/- को 4 प्रतिशत से करयोग्य दर्शाते हुए

निरन्तर.....2






उक्तानुसार देय कर राजकोष में जमा कराया गया है, जबकि आलोच्य अवधि में व्यवहारी द्वारा बिक्रीत आईटम सन ग्लासेज अधिनियम के शिड्यूल IV में कहीं भी अंकित नहीं है तथा अतिरिक्त आयुक्त जयपुर द्वारा मैसर्स टाईटन इण्डस्ट्रीज लि०, जयपुर के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 29.12.2007 में उक्त आइटम सन ग्लासेज की बिक्री पर कर की दर 12.5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवहारी को आलोच्य अवधि में राज्य के भीतर की गई सन ग्लासेज की बिक्री 12.5 प्रतिशत से करारोपण किये जाने बाबत नोटिस जारी किया गया। व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब में घोषित आलोच्य अवधि की बिक्री को सशक्त अधिकारी द्वारा बाद जांच स्वीकार किया गया एवं इसके अलावा जवाब में वर्णित अन्य तथ्यों को अस्वीकार करते हुए आलोच्य अवधि में सन ग्लासेज की बिक्री पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से करारोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में राज्य के भीतर दिनांक 01.01.2008 से 31.03.2008 तक की अवधि में रुपये 1,61,58,350/- की सन ग्लासेज की बिक्री की गई, जिस पर उसके द्वारा 4 प्रतिशत से कर जमा कराये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त बिक्री पर 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रुपये 13,73,460/- व ब्याज रुपये 4,12,038/- आरोपित किया गया तथा व्यवहारी द्वारा कम दर से कर जमा कराये जाने को करापवंचन मानते हुए अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति रुपये 27,46,920/- आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि रुपये 27,46,920/- अपास्त करते हुए अन्तर कर रुपये 13,73,460/- व ब्याज रुपये 4,12,038/- रुपये को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर अपील संख्या 2411/2011/अलवर तथा विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर अपील संख्या 345/2012/अलवर राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई।

- व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि व्यवहारी द्वारा उत्पादित विक्रीत चश्मे वैट अधिनियम की अनुसूची- IV की मद संख्या 125 में वर्णित 'स्पेक्टैकल (Spectacle) नामक वस्तु है, जिस पर 4 प्रतिशत कर की दर निर्धारित है और इसी राशि के कर दायित्व के अनुसार व्यवहारी कर की अदायगी करता है, परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा अविधिक रूप


38




निरन्तर.....3

से अनुसूची-4 के निर्दिष्ट उत्पाद को त्रुटिपूर्ण रूप से अनुसूची-5 के अनुसार residual tax rate commodity मानते हुए, इस पर कर, ब्याज व शास्ति अधिरोपित की गई, जो उचित नहीं है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश को आंशिक स्वीकार किया है जो कि अविधिक है। अतः व्यवहारी की अपील स्वीकार करके त्रुटिपूर्ण रूप से अधिरोपित कर व ब्याज को अपास्त करने की प्रार्थना की। उनके द्वारा विभिन्न ophthalmology शब्दों/उत्पादों की व्याख्या करते हुए यह तर्क भी दिया गया है कि 'स्पेक्टैकल (Spectacle) की परिभाषा में सन ग्लासेज भी सम्मिलित है और इस आधार पर व्यवहारी का उत्पाद वैट अधिनियम की अनुसूची- IV की मद संख्या 125 के अनुसार 4 प्रतिशत कर की दर से देय वस्तु है। अतः व्यवहारी की अपील स्वीकार करके कर व ब्याज को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वैट अधिनियम की अनुसूची-IV की मद संख्या 125 में परिभाषित 'स्पेक्टैकल (Spectacle) में "नजर के चशमों" के उत्पाद को ही सम्मिलित किया गया है और इस मद में "धूप के चश्मे" (Sun Glasses) नामक उत्पाद का कोई जिक्र नहीं है तथा नजर के चश्मे 'स्पेक्टैकल (Spectacle) व धूप के चश्मे (Sun Glasses) की प्रकृति व उपयोग अलग है एवं विशिष्टियाँ भिन्न-भिन्न हैं, अतः दोनों ही उत्पाद एक मद में शामिल नहीं है और अनुसूची-IV की मद संख्या 125 में "नजर के चश्मे" (Sun Glasses) सम्मिलित नहीं है, व्यवहारी द्वारा अनुसूची-V की वस्तु पर अनुसूची- IV की मद संख्या 125 में वर्णित माल पर देयकर से कम दर पर कर चुकाकर करापवंचना की गयी है, अब उन्होंने आरोपित अन्तर कर व ब्याज सम्बन्धी अपीलीय आदेश की पुष्टि करने व अपास्त की गई शास्ति को पुनः बहाल करने की प्रार्थना की है।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। विवादित बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी के स्वयं के प्रकरण में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1437/2009/अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011 में यह स्पष्ट रूप से निर्णीत किया गया है कि सन ग्लासेज को अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 125 में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्णय में व्यवहारी पर आरोपित कर तथा ब्याज की पुष्टि की गई है तथा विवादित संब्यवहार व्यवहारी की लेखा पुस्तकों में विधिवत् रूप से प्रविष्टि होने के कारण इस पर आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। उक्त संदर्भित निर्णय का संबंधित निर्णयांशः निम्न प्रकार पुनर्वलिखित है :-





निरन्तर.....4


“विवेचित तथ्यों के विश्लेषण व समीक्षा से यह स्पष्ट है कि “धूप के चश्मे” (Sun Glasses) को, “नजर के चश्मे” (Spectacle) की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है और “धूप के चश्मे” (Sun Glasses) नामक उत्पाद ऐसी विशिष्ट प्रकृति के चश्मे कहे जा सकते हैं जो विभिन्न पूर्वलेखित श्रेणियों के होकर रक्षात्मक व शोभा वृद्धि के अबाध्यकारी उत्पाद के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं, और यह उत्पाद शरीर के किसी दृष्टिदोषीय निर्योगिता को आवश्यक रूपेण विफल करने हेतु प्रयुक्त नहीं किये जाते, ऐसे में “धूप के चश्मे” (Sun Glasses) की प्रकृति अवशिष्ट अनुसूची से ही अधिशासित मानी जा सकती है।

अतः यह खण्डपीठ कर की दर से सम्बन्धित उत्पाद के कर के अंतर के दायित्व को अधिरोपित करने के निर्णय में कोई त्रुटि न पाते हुए इसे उचित अनुभव करती है, तथा शास्ति को अधिरोपण को इसलिये उचित अनुभव नहीं करती, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा अपने उत्पाद की प्रकृति के यथेष्ट रूपेण उजागर करते हुए, इसकी प्रकृति को उद्घाटित करते हुए, समस्त दस्तावेज लेखा पुस्तकों को यथासम्भव सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया है और किसी तथ्य को विलुप्त या छिपाया नहीं है।”

6. प्रस्तुत प्रकरण चूंकि उक्त संदर्भित निर्णय से पूर्णतया आच्छादित है, अतः कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है तथा शास्ति के बिन्दु पर राजस्व की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।
7. उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।
8. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(राजीव चौधरी)
सदस्य